इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जून 2014—आषाढ़ 6, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)
संसद् के अधिनियम
विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जून 2014

क्र. 3591क-इक्कीस-अ-वि.स.-2014.—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1 क संख्यांक 3 खण्ड 1 में दिनांक 9 अक्टूबर, 2013 को प्रकाशित दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 13) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जाएगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, पुनः प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 13) [2 अप्रैल, 2013]

भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 है.
(2) यह 3 फरवरी, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

अध्याय 2
भारतीय दंड संहिता का संशोधन

धारा 100 का संशोधन.

1860 का 45.

2. भारतीय दंड संहिता (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड संहिता कहा गया है) की धारा 100 में, खंड छठा के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**सातवां**—अम्ल फेंकने या देने का कृत्य, या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति कारित होगी.".

नई धारा 166क और धारा 166ख का अंत:स्थापन।

3. दंड संहिता की धारा 166 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

लोक सेवक, जो विधि के अधीन निदेश की अवज्ञा करता है।

"166क. जो कोई लोक सेवक होते हुए,—

(क) विधि के किसी ऐसे निदेश की, जो उसको किसी अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करेगा; या

(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निदेश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, जानते हुए अवज्ञा करेगा; या

(ग) धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के संबंध में उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहेगा, 1974 का 2

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

पीड़ित का उपचार न करने के लिए दंड।

166ख. जो कोई ऐसे किसी लोक या प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, भारसाधक होते हुए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357ग के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।"। 1974 का 2

धारा 228क का संशोधन।

4. दंड संहिता की धारा 228क की उपधारा (1) में, "धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 326क और धारा 326ख का अंत:स्थापन।

5. दंड संहिता की धारा 326 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।

'326क. जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंककर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके, ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से कि संभाव्य है उनसे ऐसी क्षति या उपहति कारित हो, स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करेगा या अंगविकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या नि:शक्त बनाएगा या घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा।

स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।

326ख. जो कोई, किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंगविकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या नि:शक्त बनाने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए "अम्ल" में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप या ज्वलन प्रकृति का है, जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है, जिससे क्षतचिह्न बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी नि:शक्तता हो जाती है।

स्पष्टीकरण 2—धारा 326क और इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंगविकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं होगा।'।

धारा 354 का संशोधन।

6. दंड संहिता की धारा 354 में, "वह दोनों में से, किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग और धारा 354घ का अंत:स्थापन।

7. दंड संहिता की धारा 354 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड।

'354क. (1) ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य, अर्थात्:—

(i) शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं करने, जिनमें अवांछनीय और लैंगिक संबंध बनाने संबंधी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हों ; या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करने ; या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने ; या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने,

वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई पुरुष, जो उपधारा (1) के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

354ख. ऐसा कोई पुरुष, जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

दृश्यरतिकता।

354ग. ऐसा कोई पुरुष, जो किसी प्राइवेट कृत्य में लगी किसी स्त्री को, जो उन परिस्थितियों में जिनमें वह यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एकटक देखेगा या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा और द्वितीय अथवा पश्चात्वर्ती किसी दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राइवेट कृत्य" के अंतर्गत ताकने का ऐसा कोई कृत्य आता है जो ऐसे किसी स्थान में किया जाता है, जिसके संबंध में, परिस्थितियों के अधीन, युक्तियुक्त

रूप से यह प्रत्याशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों, नितंबों या वक्षस्थलों को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रही है; या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिए सम्मति देती है किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है वहां ऐसे प्रसारण को इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा।

पीछा करना।

354घ. (1) ऐसा कोई पुरुष, जो—

(i) किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद, बारंबार पीछा करता है और संस्पर्श करता है या संस्पर्श करने का प्रयत्न करता है; या

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ई-मेल या किसी अन्य प्ररूप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मानीटर करता है,

पीछा करने का अपराध करता है :

परंतु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा, यदि वह पुरुष, जो ऐसा करता है, यह साबित कर देता है कि—

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था; या

(ii) ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था; या

(iii) विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(2) जो कोई पीछा करने का अपराध करेगा, वह प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'।

धारा 370 के स्थान पर नई धारा 370 और धारा 370क का प्रतिस्थापन।

8. दंड संहिता की धारा 370 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

व्यक्ति का दुर्व्यापार।

'370. (1) जो कोई, शोषण के प्रयोजन के लिए,—

पहला—धमकियों का प्रयोग करके; या

दूसरा—बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके; या

तीसरा—अपहरण द्वारा; या

चौथा—कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा; या

पांचवां—शक्ति का दुरुपयोग करके; या

छठवां—उत्प्रेरणा द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की, जो भर्ती किए गए, परिवहनित, संश्रित, स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है, सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदे देना या प्राप्त करना भी आता है,

किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को (क) भर्ती करता है, (ख) परिवहनित करता है, (ग) संश्रय देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ङ) गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1—''शोषण'' पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण, दासता या दासता अधिसेविता के समान व्यवहार या अंगों का बलात् अपसारण भी है।

स्पष्टीकरण 2—दुर्व्यापार के अपराध के अवधारण में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है।

(2) जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(3) जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(4) जहां अपराध में किसी अवयस्क का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(5) जहां अपराध में एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है, वहां वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(6) यदि किसी व्यक्ति को अवयस्क का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(7) जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है, वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण।

370क. (1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी अवयस्क का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।'।

धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग और धारा 376घ के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

9. दंड संहिता की धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग और धारा 376घ के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

बलात्संग।

'375. यदि कोई पुरुष,—

(क) किसी स्त्री की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ख) किसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार हस्तसाधन करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहां ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है:—

पहला—उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा—उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा—उस स्त्री की सम्मति से, जब कि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा—उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवां—उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचित्तता या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां—उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जबकि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवां—जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "योनि" के अंतर्गत वृहत् भगौष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2—सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है:

परंतु ऐसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है।

अपवाद 1—किसी चिकित्सीय प्रक्रिया या अंत: प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

अपवाद 2—किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।

बलात्संग के लिए दंड।

376. (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई—

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए—

(i) उस पुलिस थाने की, जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा; या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा; या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ग) केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा; या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा; या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा; या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा; या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा; या

(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ठ) मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा; या

(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा; या

(ढ) उसी स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''सशस्त्र बल'' से नौसेना बल, सैन्य बल और वायु सेना बल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, कोई सदस्य भी है;

(ख) ''अस्पताल'' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों के या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है;

(ग) ''पुलिस अधिकारी'' का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन ''पुलिस'' पद में उसका है;

(घ) ''स्त्रियों या बालकों की संस्था'' से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय

हो या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो।

पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड।

376क. जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।

पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।

376ख. जो कोई, अपनी पत्नी के साथ, जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा, पृथक् रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण— इस धारा में, ''मैथुन'' से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है।

प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।

376ग. जो कोई,—

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए; या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए; या

(ग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए; या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारिवृंद होते हुए,

ऐसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करते हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1— इस धारा में, ''मैथुन'' से धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3— किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के संबंध में, ''अधीक्षक'' के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल, प्रतिप्रेषण-गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण 4— ''अस्पताल'' और ''स्त्रियों या बालकों की संस्था'' पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उनका है।

सामूहिक बलात्संग।

376घ. जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा:

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा।

376ङ. जो कोई, धारा 376 या धारा 376क या धारा 376घ के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात् उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा।'। पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड।

10. दंड संहिता की धारा 509 में, ''वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 509 का संशोधन।

अध्याय 3

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

1974 का 2

11. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता कहा गया है) की धारा 26 के खंड (क) के परंतुक में ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और धारा 376क से धारा 376घ'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर ''भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 26 का संशोधन।

1860 का 45

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54क में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— धारा 54क का संशोधन।

''परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों:

परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो शनाख्त किए जाने की प्रक्रिया की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।''।

13. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— धारा 154 का संशोधन।

1860 का 45

''परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, कोई इत्तिला दी जाती है तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी:

परन्तु यह और कि—

1860 का 45

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के, जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की ईप्सा करता है, निवास-स्थान पर या उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर, यथास्थिति, किसी द्विभाषिए या किसी विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी;

(ख) ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी;

(ग) पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा (5क) के खंड (क) के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभवशीघ्र अभिलिखित कराएगा।"।

धारा 160 का संशोधन।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 की उपधारा (1) के परन्तुक में, "जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु का है या किसी स्त्री से" शब्दों के स्थान पर, "जो पंद्रह वर्ष से कम आयु का या पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री से या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 161 का संशोधन।

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 की उपधारा (3) के परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि किसी ऐसी स्त्री का कथन, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है, किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।"। 1860 का 45

धारा 164 का संशोधन।

16. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(5क) (क) भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2), धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विहित रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा: 1860 का 45

परन्तु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा :

परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी।

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति के, जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से नि:शक्त है, खंड (क) के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 137 में यथा विनिर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर एक कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की, विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना, ऐसे कथन पर प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी।"। 1872 का 1

धारा 173 का संशोधन।

17. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (ज) में "धारा 376ग या धारा 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 197 का संशोधन।

18. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 166ख, धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया है, कोई पूर्व मंजूरी अपेक्षित नहीं होगी।"। 1860 का 45

नई धारा 198ख का अंत:स्थापन।

19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अपराध का संज्ञान।

1860 का 45

"198ख. कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 376ख के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जहां व्यक्तियों में वैवाहिक संबंध है, उन तथ्यों का, जिनसे पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध परिवाद फाइल किए जाने या किए जाने पर अपराध गठित होता है, प्रथमदृष्ट्या समाधान होने के सिवाय संज्ञान नहीं करेगा।"।

धारा 273 का संशोधन।

20. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां अठारह वर्ष से कम आयु की स्त्री का, जिससे बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, साक्ष्य अभिलिखित किया जाना है, वहां न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी स्त्री का अभियुक्त से सामना न हो और साथ ही अभियुक्त की प्रतिपरीक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए समुचित उपाय कर सकेगा।"।

धारा 309 का संशोधन।

21. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) प्रत्येक जांच या विचारण में, कार्यवाहियां सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा हो जाने तक दिन-प्रतिदिन जारी रखी जाएंगी, जब तक कि ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, न्यायालय उन्हें अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक न समझे :

1860 का 45

परन्तु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण, यथासंभव आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।"।

धारा 327 का संशोधन।

22. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 की उपधारा (2) में, "धारा 376ग या धारा 376घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 376ग, 376घ या धारा 376ङ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

नई धारा 357ख और धारा 357ग का अंत:स्थापन।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

प्रतिकर का भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन के जुर्माने के अतिरिक्त होना।

1860 का 45

"357ख. धारा 357क के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर भारतीय दंड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन पीड़िता को जुर्माने का संदाय किए जाने के अतिरिक्त होगा।

पीड़ितों का उपचार।

357ग. सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326क, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत नि:शुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरन्त सूचना देंगे।"।

1860 का 45

प्रथम अनुसूची का संशोधन।

24. दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, "1. भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध" शीर्ष के अधीन,—

(क) धारा 166 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
"166क	लोक सेवक, जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है।	कम से कम छह मास के लिए कारावास जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।
166ख	अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना।	एक वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों।	असंज्ञेय	जमानतीय	प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट।";

(ख) धारा 326 से संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
"326क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़ित को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
326ख	स्वेछया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना।	पांच वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।";

(ग) धारा 354 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
"354	स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	एक वर्ष के लिए कारावास, जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354क	अवांछनीय शारीरिक संस्पर्श और अग्रक्रियाएं अथवा लैंगिक संबंधों की स्वीकृति की कोई मांग या अनुरोध करने, अश्लील साहित्य दिखाने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न।	कारावास, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
	लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने की प्रकृति का लैंगिक उत्पीड़न।	कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना या दोनों।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।

1	2	3	4	5	6
354ख	विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354ग	दृश्यरतिकता।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए कम से कम एक वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
354घ	पीछा करना।	प्रथम दोषसिद्धि के लिए तीन वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	जमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।
		द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि के लिए पांच वर्ष तक के लिए कारावास और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	कोई मजिस्ट्रेट।''।

(घ) धारा 370 से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
''370	व्यक्ति का दुर्व्यापार।	कम से कम सात वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	किसी अवयस्क का दुर्व्यापार।	कम से कम दस वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

1	2	3	4	5	6
	एक से अधिक अवयस्कों का दुर्व्यापार।	कम से कम चौदह वर्ष के लिए कारावास किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	व्यक्ति को एक से अधिक अवसरों पर अवयस्क के दुर्व्यापार के अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाना।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन-काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	लोक सेवक या किसी पुलिस अधिकारी का अवयस्क के दुर्व्यापार में अंतर्वलित होना।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन-काल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
370क.	ऐसे किसी बालक का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम पांच वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
	ऐसे किसी व्यक्ति का शोषण, जिसका दुर्व्यापार किया गया है।	कम से कम तीन वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।"।

(ङ) धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग और धारा 376घ से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6
"376	बलात्संग।	कम से कम सात वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

1	2	3	4	5	6
	किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी लोक सेवक या सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा या किसी जेल, प्रतिप्रेषण-गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारिवृंद में के किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग और उस व्यक्ति के प्रति, जिससे बलात्संग किया गया है न्यास या प्राधिकारी की स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति के, जिससे बलात्संग किया गया है, किसी निकट नातेदार द्वारा किया गया बलात्संग।	कम से कम दस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो, आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत होगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376क	बलात्संग का अपराध करने और ऐसी क्षति पहुंचाने वाला व्यक्ति जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या उसकी लगातार विकृतशील दशा हो जाती है	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास, तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।

1	2	3	4	5	6
376ख	पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन।	कम से कम दो वर्ष के लिए कारावास, किंतु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय (किंतु केवल पीड़िता द्वारा परिवाद करने पर)	जमानतीय	सेशन न्यायालय।
376ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन।	कम से कम पांच वर्ष के लिए कठोर कारावास किंतु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।
376घ	सामूहिक बलात्संग।	कम से कम बीस वर्ष के लिए कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, और जुर्माना, जिसका संदाय पीड़िता को किया जाएगा।	संज्ञेय	अजामनतीय	सेशन न्यायालय।
376ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी।	आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड।	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय।'';

(च) धारा 509 से संबंधित प्रविष्टि के स्तंभ 3 में, ''एक वर्ष के लिए सादा कारावास, या जुर्माना या दोनों'' शब्दों के स्थान पर, ''तीन वर्ष के लिए सादा कारावास और जुर्माना'' शब्द रखे जाएंगे।

अध्याय 4

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का संशोधन

नई धारा 53क का अंत:स्थापन।

25. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् साक्ष्य अधिनियम कहा गया है) की धारा 53 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी; अर्थात्:— 1872 का 1

कतिपय मामलों में शील या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत न होना।

''53क. भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किसी अभियोजन में जहां सम्मति 1860 का 45

का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़िता के शील या ऐसे व्यक्ति का किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव का साक्ष्य ऐसी सम्मति या सम्मति की गुणता के मुद्दे पर सुसंगत नहीं होगा।''।

धारा 114क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

26. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने की उपधारणा।

1860 का 45

'114क. भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ड) या खंड (ढ) के अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में, जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया था और ऐसी स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।

1860 का 45

स्पष्टीकरण—इस धारा में ''मैथुन'' से भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के खंड (क) से खंड (घ) में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा।'।

धारा 119 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

27. साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना।

''119. ऐसा कोई साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति में, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है जैसे कि लिखकर या संकेत चिह्नों द्वारा, अपना साक्ष्य दे सकेगा; किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में लिखे और किए जाने चाहिए तथा इस प्रकार दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा :

परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जा सकेगी।''।

धारा 146 का संशोधन।

28. साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

1860 का 45

''परंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ या धारा 376ङ के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवाद्य है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा।''।

अध्याय 5

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 का संशोधन

धारा 42 के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

2012 का 32

29. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

आनुकल्पिक दंड।

1860 का 45

''42. जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड संहिता की धारा 166क, धारा 354क, धारा 354ख, धारा 354ग, धारा 354घ, धारा 370, धारा 370क, धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376ग, धारा 376घ, धारा 376ङ या धारा 509 के अधीन भी दंडनीय कोई अपराध गठित होता है वहां, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी उस दंड का भागी होगा, जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

42क. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोही प्रभाव होगा।''।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निरसन और व्यावृत्ति।

30. (1) दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2013 का अध्यादेश संख्यांक 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित भारतीय दंड संहिता, 1860 का 45 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 1872 का 1 के अधीन की कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

भारत सरकार राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, खण्ड 1, संख्यांक 1, तारीख 15 फरवरी, 2013 को प्रकाशित राजपत्र का शुद्धिपत्र:—

पृष्ठ सं॰	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
14	चौथा पैरा	4	भूाम उपयोग	भूमि उपयोग
37	—	9	बासठवें वर्ष	तिरसठवें वर्ष
51	21 (आ) (viख) परन्तुक	1	पुरोधारण	पुरोधरण
105	(32)	6	अनुसार प्रभारित	तदनुसार प्रभारित
113	(ङ)	2	35 त	32 त
119	156 (i) (अ)	1	जिसे इमसे	जिसे इसमें
205	2.	1	धारा 10, 29	धारा 10, धारा 29
211	10(क) (ञ)	4	पटना, इंडियन	पटना और इंडियन
211	10(क) (ढ)	4	सब 2009-10	सत्र 2009-2010

प्रेम कुमार मल्होत्रा,
सचिव, भारत सरकार।

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2014

क्र. आर-757-91-2014-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 6 के साथ पठित धारा 112 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 115 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों का अवसान होने पर उक्त संशोधन प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसार होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—नियम 6 में उपनियम (2) के परंतुक में खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(पांच) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम उपकर या उपकर राशि जमा नहीं की गई है."

No. R-757-91-2014-A-XVI.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Factories Rules, 1962, which the State Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 112 read with Section 6 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 115 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment will be taken into consideration on the expiry of forty five days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), in the proviso, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely :—

"(v) that the advance cess or cess has not been deposited as per provision of rule 4 of the Building and Other Construction Worker's Welfare Cess Rule, 1998."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

अंतिम नियम

विमानन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2014

क्र. एफ-1-10-2001-पैंतालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विमानन विभाग (राजपत्रित-तकनीकी) सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-दो में, शीर्षक पाइलट के अन्तर्गत,—

(1) कालम (3) में, अनुक्रमांक 1, 2, 3 तथा 5 में, आयटम (अ) के स्थान पर, निम्नलिखित आयटम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(अ) 1 जनवरी, 1994 के पश्चात्, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र तथा गणित विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा उक्त तारीख से पूर्व, शैक्षणिक अर्हता नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.".

(2) कालम (3) में, अनुक्रमांक 2, में आयटम (स) के स्थान पर, निम्नलिखित आयटम स्थापित स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(स) विधिमान्य वाणिज्यिक पाइलट लायसेंस (विमान) अथवा एयर-लाइन्स ट्रांसपोर्ट पाइलट लायसेंस (विमान).."

(3) कालम (3) में, अनुक्रमांक 4, में आयटम (अ) से (इ) तक के स्थान पर, निम्नलिखित आयटम स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(अ) 1 जनवरी, 1994 के पश्चात्, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र तथा गणित विषय के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा उक्त तारीख से पूर्व, शैक्षणिक अर्हता नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी.".

(ब) कुल 2000 उड़ान घंटे का अनुभव जिसमें से 1000 घंटे पाइलट-इन-कमाण्ड के रूप में तथा मल्टी/दो इंजिन वाले विमान पर 500 उड़ान घंटे का पाइलट-इन कमाण्ड का अनुभव.

(स) विधिमान्य वाणिज्यिक पाइलट लायसेंस (विमान) अथवा एयर-लाइन्स ट्रांसपोर्ट पाइलट लायसेंस (विमान)."

(द) वैद्य आई. आर.

(इ) Computer working का Basic knowledge."

No.F-1-10-2001-XLV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Aarticle 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Aviation Department (Gazetted-Technical) Service Recruitment and Service Condition Rules, 2003, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule II,

(1) in column (3), for item (a) of serial numbers 1, 2, 3 and 5 the following item shall be substituted, namely :—

"(a) must have passed 10+2 examination with the subjects Physics and Mathematics from a recognized Board/ University after 01 January, 1994 and before the said date the educational qualification as specified by the Ministry of Civil Aviation."

(2) in column (3), for item (c) of serial numbers 2, the following item shall be substituted, namely:—

"(c). Valid Commercial Pilot's license (Aeroplance) or Airline Transport Pilot's License (Aeroplane),".

(3) in column (3), for item (a) to (e) of serial number 4, the following items shall be substituted namely :—

"(a) must have passed 10+2 examination with the subjects Physics and Mathematics from a recognized Board/University after 01 January, 1994 and before the said date the educational qualification as specified by the Ministry of Civil Aviation."

(b) Flying Experience Total 2000 hours, out of which 1000 hours as Pilot-in-command and 500 hours as Pilot-in-command on Multi-engine/Twin engine Aeroplane.

(c) Valid Commercial Pilot's License (Aeroplane) or Airline Transport Pilot's License (Aeroplane).

(d) Valid I. R.

(e) Basic knowledge of computer working."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.